

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर
दिनांक: 31.03.2023

सं. का/254/ग्रुप-बी/सवाप्र/70 प्रतिशत/2023 (I)

सचिव/स्थापना, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

सलाहकार/निदेशक/सतर्कता/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग बड़ोदरा।

महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ एवं महाप्रबन्धक, रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज।

सचिव/महाप्रबन्धक एवं अपर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

सचिव/सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

सभी मंडल रेल प्रबन्धक, अपर मंडल रेल प्रबन्धक, मुख्य परियोजना प्रबन्धक (गतिशक्ति), पूर्वोत्तर रेलवे।

मुख्यालय/मंडल/मंडलेत्तर ईकाई के सभी कार्मिक, वाणिज्य एवं परिचालन अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे।

सभी प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे।

रेलवे वेबसाईड प्रति।

विषय:—सवाप्र, लेवल-08 (ग्रुप-बी) 70 प्रतिशत कोटा के रिक्त पदों के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.12.2022 ।

सवाप्र, ग्रुप-बी, 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध 03 (तीन) 02 अनारक्षित, 01 अजा एवं PwBD 01 पदों की लिखित परीक्षा CBT Mode से NAIR द्वारा दिनांक 19.02.2023 को तथा मौखिक परीक्षा दिनांक 30.03.2023 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा सवाप्र, ग्रुप-बी, 70 प्रतिशत कोटा के रिक्त के विरुद्ध अनन्तिम नामिका में रखने हेतु योग्य पाये गये हैं :-

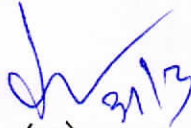
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पदनाम एवं कार्यस्थल	चयन समुदाय
1	श्री सत्य प्रकाश सिंह, वाणिज्य अधीक्षक, गोरखपुर (लखनऊ मंडल)	अनारक्षित
2	श्री सतिन्दर सिंह, सीसीआई, इज्जतनगर।	अनारक्षित
बेस्ट एमांग फेल्योर श्रेणी		
1	श्री शिव शंकर प्रसाद (अजा), सीटीटीआई, गोरखपुर पूर्व (वाराणसी मंडल)	अ0जा0
	नोट:— रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-88-ई(एससीटी)1/23/1 दिनांक 28.06.1995 के आलोक में श्री शिव शंकर प्रसाद (अजा), सीटीटीआई, गोरखपुर पूर्व (वाराणसी मंडल) को बेस्ट एमांग फेल्योर के अन्तर्गत छः माह हेतु इन सर्विस ट्रेनिंग के आधार पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान किया गया है। 06 माह के पश्चात इनका वर्किंग रिपोर्ट समीक्षा हेतु महाप्रबन्धक महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक दक्षता प्राप्त कर लिये जाने पर इनका नाम पैनल में रखा जाएगा।	

उपरोक्त अनन्तिम नामिका वरीयता क्रम के अनुसार है।

नोट:— रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/E (SCT)1/25/9 dt.22.06.2022 में निहित निर्देशों के आलोक में उपरोक्त नामिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर श्री जरनैल सिंह बैच के मामले में जारी अन्तिम आदेश के अध्याधीन होगी।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका महाप्रबन्धक महोदय द्वारा दिनांक-31.03.2023 को अनुमोदित है।

सम्बन्धित कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाय।


(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज0
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक